तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 83/2022(2022/146) अनवान रूकीदेवी बनाम धर्माराम अपील संख्या 85/2022(2022/145) अनवान धर्माराम बनाम रूकीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

01. अपील संख्या 83/2022(2022/145) अनवान रूकीदेवी बनाम धर्माराम
रूकीदेवी

बनाम

धर्माराम

उपस्थित

1. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

02. अपील संख्या 85/2022(2022/146) अनवान धर्माराम बनाम रूकीदेवी

धर्माराम

बनाम

रूकीदेवी

उपस्थित

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

आदेश

दिनांक 13 मई 2025

दोनो अपीलों के अपीलांट्स ने हस्तगत अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2021 अनवान रूकीदेवी व अन्य बनाम धर्माराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष क्रमशः दिनांक 11 अप्रैल 2022 एवं दिनांक 18 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की गई।

	दोनो अपीलों की विषय वस्तु, पक्षकारान एवं एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में एक-एक निर्णय प्रति रखी जावे। बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट(अपील संख्या 83/2022) ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 267 रकबा 11.09 बीघा एवं खसरा नंबर 269 रकबा 09.01 बीघा ग्राम बुड़किया अपीलांट्स के पिता स्व. रूपाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या एक धर्माराम की संयुक्त परिवार की आय से सामलाती खरीदसुदा भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वक्त खरीद खसरा नंबर 667/3 रकबा 1.1493 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 267/4 रकबा 0.0947 हैक्टेयर भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा खसरा नंबर 269 रकबा 0.4715 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 269/5 रकबा 0.0469 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थीनी रूकीदेवी एवं अपने नाम दर्ज करवा ली। उभय पक्ष में झगड़ा न हो, इसलिए रूपाराम एवं धर्माराम द्वारा एक इकरारनामा लिखा गया, जिसमें धर्माराम की लिखावट है। उक्त ईकरारनामा अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट धर्माराम द्वारा उक्त इकरारनामा का उल्लंघन करते हुए मौके सड़क पर स्थित खसरा नंबर 267/3 पर दुकानों का निर्माण करवाये जाने पर अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स को पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 01.01.2021 के जरिये रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा मौके पर कच्चा-पक्का निर्माण नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया गया, किंतु अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का ही आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट्स संख्या एक अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके पर निर्माण कार्य कर वादग्रस्त आराजी की मौके की स्थिति को परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा	

	वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि-विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 को निरस्त किया जावे एवं वाद के लम्बित रहने तक विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01 जनवरी 2021 को पुष्ट किया जावे। जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता(अपील संख्या 85/2022 के अपीलांट) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि है। इस कारण अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील संख्या 85/2022 को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 एवं अपीलांट रूकीदेवी वगैरह की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 83/2022 को खारिज फरमाया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बेचाननामों के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 267 रकबा 11.09 बीघा संपूर्ण विभिन्न पंजीबद्ध बेचाननामों के जरिये रेस्पोडेंट/अप्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 83/2022(2022/146) अनवान रूकीदेवी बनाम धर्माराम अपील संख्या 85/2022(2022/145) अनवान धर्माराम बनाम रूकीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	धर्माराम की खरीदसुदा भूमि है तथा खसरा नंबर 269 रकबा 09.01 बीघा भी अप्रार्थी धर्माराम की खरीदसुदा भूमि है, जिसमें अपीलांट्स रूकीदेवी वगैरह खातेदार मूलचंद, बालचंद, महावीर पिता चिरंजीलाल, विघा, अर्चनादेवी पुत्रीयॉ चिरंजीलाल से वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 269 रकबा 09.01 बीघा का 1/4 वॉ हिस्सा संयुक्त रूप से खरीद करते वक्त उक्त 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा रेस्पोडेंट/अप्रार्थी धर्माराम का तथा 1/3 हिस्सा अपना बताया है। अपीलांट्स रूकी वगैरह का कथन है कि अप्रार्थी धर्माराम द्वारा वादग्रस्त आराजी सहदायगी की संपति से खरीद की है तथा अपने अकेले के नाम से रजिस्ट्री करवायी है। अपीलांट्स के उक्त कथन विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में जरिये साक्ष्य सिद्ध होने है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण न हो तथा तृतीय पक्ष का सृजन न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया है जो अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत पाया जाता है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके की यथास्थिति का आदेश पारित तक वर्तमान रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग -उपभोग करने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पायी जाने से खारिज योग्य ठहरती है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2022 यथावत रखा जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	